

शस्त्र विक्रय करने तथा अन्य शस्त्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र

1. नाम आवेदक (विक्रेता)
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
पुलिस स्टेशन का नाम
4. शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या तथा
जारी होने वाले जिले का नाम
5. अनुज्ञापत्र का क्षेत्र
6. दर्ज शस्त्रों की किस्म एवं नम्बर
7. अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि
8. शस्त्र विक्रय का कारण
9. शस्त्र क्रेता का नाम
10. शस्त्र क्रेता का वर्तमान पता मय
पुलिस स्टेशन का नाम
11. क्या शस्त्र विक्रय उपरान्त
विक्रेता अन्य कोई शस्त्र क्रय करना
चाहते है।
(यदि हां तो शस्त्र की किस्म)

नोट :-

विक्रेता एवं क्रेता के मूल अनुज्ञापत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

कार्यालय कार्यवाही

आवेदक द्वारा क्रय/विक्रय हेतु दिया गया कारण उचित/अनुचित प्रतीत होता है। अतः उक्त शस्त्र एवं विक्रय करने एवं इसके स्थान पर अन्य शस्त्र क्रय करने की स्वीकृति करने की स्वीकृति करने की स्वीकृति प्रदान करना उचित होगा/नहीं होगा।

आवेदक का अनुज्ञापत्र समस्त भारत वर्ष के लिए मान्य है अतः स्वीकृति हेतु प्रकरण गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया जामा उचित होगा।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट